

सर कीकोभाई प्रेमचंद

बनाम

आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बम्बई।

पतंजलि शास्त्री सी.जे., एस.आर.दास, विवियन बोस, गुलाम हसनऔर

भगवती जे.

09 अक्टूबर, 1953

भारतीय आयकर अधिनियम, (1922 को 11), एस. 13- मुनाफे को निर्धारण-निर्धारिती व्यापारिक प्रणाली को अपना रहा है और प्रत्येक वर्ष की शुरूआत और समाप्ति पर लागत मूल्य पर स्टॉक को मूल्यांकन कर रहा है-व्यवसाय से स्टॉक की निकोसी-क्या व्यवसाय को निकोसी की तारीख पर बाजार मूल्य के साथ जमा किया जाना चाहिये।

सराफा और शेयरों को कोरोबार करने वाला करदाता व्यापारिक प्रणाली में हिसाब-किताब रखता था और अपने लाभ को पता लगाने के लिये उसने जो तरीको अपनाया, वह प्रत्येक वर्ष की शुरूआत और समाप्ति पर लागत मूल्य पर स्टॉक को मूल्यांकन करना था। लेखांकन वर्ष में उसने व्यवसाय से कुछ चांदी की छड़े और शेयर निकोले और उन्हें ट्रस्टों में बसाया और व्यवसाय के खातों में उसने वर्ष के अंत में लागत मूल्य पर उनको मूल्यांकन किया।

पतंजलि शास्त्री सी.जे., एस.आर.दास, विवियन बोस और गुलाम हसन जे.जे. द्वारा (भगवती जे.असहमति जताते हुये) यह निर्धारित किया गया है कि निर्धारिती उन्हें लागत मूल्य पर मूल्यांकित करने को हकदार था और वर्ष के लिये अपने मूल्यांकन योग्य लाभ को पता लगाने के लिये वर्ष के अंत में उनके बाजार मूल्य के साथ व्यवसाय को क्रेडिट करने के लिये बाध्य नहीं था।

भगवती जे. जहां तक व्यवसाय को संबंध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यापार में स्टॉक की वसूली की गयी या व्यवसाय से वापिस ले लिया गया और व्यवसाय को उस तिथि के अनुसार निकोली गयी संपत्ति के बाजार मूल्य के साथ जमा करने को अधिकार था। निर्धारिती द्वारा वर्ष के अंत में उसके स्टॉक इन ट्रेड के मूल्यांकन के लिये अपनायी गयी विधि चाहे जो भी हो।

चौथमल गोलापचंद (6 आई.टी.आर. 733) और स्पेनिश प्राॅस्पेक्टिंग कंपनी लिमिटेड ((1911) 1 अध्याय 92) को उल्लेख है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील संख्या 144/1952

उच्चतम न्यायालय द्वारा 03 अक्टूबर, 1950 को बाॅम्बे उच्च न्यायालय (चागला सी.जे. और तेंडोलकर जे.) के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार में 14 सितंबर, 194 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपने मूल क्षेत्राधिकार में दी गयी विशेष अनुमति द्वारा अपील आई०टी०ए० नंबर में

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण बाँम्बे बेंच 'बी' बाँम्बे के 20 फरवरी, 1948 और 9 अप्रैल, 1948 के आदेश से उत्पन्न 1949 के आयकर संदर्भ संख्या 1 में क्षेत्राधिकार 1947-48 को 894।

अपीलार्थी की ओर से आर.जे.कोलेह। एम.सी. सीतलवाड, भारत के अटॉर्नी जनरल, (जी.एन.जोशी, उनके साथ) आयकर आयुक्त की ओर से।

1953, 09 अक्टूबर-मुख्य न्यायाधीश और एस.आर.दास., बोस और गुलाम हसन जे.जे. को निर्णय बोस जे. द्वारा दिया गया था। भगवती जे. ने एक अलग असहमति पूर्ण निर्णय दिया।

बोस जे.-यह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये संदर्भ पर दिये गये बाँम्बे उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश के खिलाफ एक निर्धारिती द्वारा की गयी अपील है। बाँम्बे हाई कोर्ट ने अपील करने की अनुमति देने से इनकोर कर दिया लेकिन निर्धारिती ने इस अदालत से विशेष अनुमति प्राप्त कर ली।

अपीलकर्ता चांदी और शेयरों को कोरोबार करता है और उसकी हिस्सेदारी को एक बड़ा हिस्सा चांदी बुलियन और शेयरों में रखा गया है। उनको व्यवसाय स्वयं द्वारा संचालित और स्वामित्व में है। उनके खाते व्यापारिक प्रणाली के अनुसार रखे जाते हैं। यह माना जाता है कि इस प्रणाली के तहत शेयरों को मूल्यांकन दो तरीकों में से एक में किया जा सकता है और बशर्ते कि आयकर अधिकारियों की मंजूरी के बिना साल दर

साल प्रक्रिया में कोई भिन्नता ना हो, करदाता अपनी इच्छानुसार कोई भी तरीको चुन सकता है। इस मामले में, नियोजित प्रक्रिया लागत मूल्य विधि थी यानि स्टॉक की लागत मूल्य वर्ष की शुरुआत में दर्ज की गयी थी, ना कि इसको बाजार मूल्य और इसी तरह लागत मूल्य फिर से वर्ष के अंत में दर्ज किया गया था। किसी भी स्टॉक को वर्ष जिसको वर्ष के दौरान निपटान नहीं किया गया था। वर्ष की शुरुआत में खाताओं के एक तरफ की प्रविष्टियां इस प्रकार इन वस्तुओं के संबंध में दूसरी तरफ की प्रविष्टिया को संतुलित करती है जिसके परिणामस्वरूप जहां तक उनको संबंध है, कितना तो उन पर लाभ दिखाती है और ना ही हानि। यह वह प्रक्रिया थी जिसे नियमित रूप से अपनाया जाता था और यह सभी ने स्वीकोर किया है कि लेखांकन की इस प्रणाली के तहत इसकी अनुमति थी। जिस लेखांकन वर्ष से हम चिंतित है, वह कैलेंडर वर्ष 1942 है। वर्ष की शुरुआत में अपीलकर्ता के पास पड़ी चांदी की छड़ और शेयरों को मूल्य लागत मूल्य पर लगाया गया था। वर्ष के दौरान अपीलकर्ता ने व्यवसाय से कुछ बार और शेयर वापस ले लिये और उन्हें कुछ ट्रस्टों में बसा दिया जिनकी संख्या तीन थी। अपीलकर्ता तीनों ट्रस्टों में लाभार्थियों में से एक था, जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद प्रत्यावर्ती जीवन हित अपने पास बरकरार रखा था, जिसे पहला जीवन हित दिया गया था। कुछ अन्य जीवन हितों के बाद अंतिम लाभार्थी दान थे। अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से दो ट्रस्टों में प्रबंध ट्रस्टी था और वास्तव में तीसरे में भी ऐसा ही किया गया

था। अपनी पुस्तकों में अपीलकर्ता ने इस प्रकार निकोले गये बार और शेयरों की लागत कीमत को श्रेय व्यवसाय को दिया और यहीं मुददे की जड़ है जिसे हमें निर्धारित करना है। इस मामले में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि बार और शेयर अच्छे विश्वास के अलावा व्यवसाय से वापस ले लिये गये थे।

अपीलकर्ता के अनुसार, निकोसी के कोर्य से उसे या उसके व्यवसाय को ना तो आय हुयी, ना लाभ हुआ, ना ही यह कोई व्यावसायिक लेन देन था, तदनुसार यह कर योग्य नहीं था।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने दो तर्क उठाये। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि चूंकि बार और शेयरों को व्यवसाय में लाया गया था, इसलिये व्यवसाय से उनकी किसी भी निकोसी को सामान्य और प्रसिद्ध व्यावसायिक लाईनों के साथ निपटा जाना चाहिये अर्थात यदि कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय से संपत्ति निकोलता है तो उसे इसको हिसाब देना होगा। इसके लिये निकोसी की तिथि पर प्रचलित बाजार दर पर व्यवसाय के लिये। उन्होंने कहा कि केवल इस तथ्य से कि अपीलकर्ता व्यवसाय को एकमात्र मालिक था, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि अधिनियम के तहत आय को आकलन अलग-अलग शीर्षकों के तहत किया जा सकता है और जब हम किसी व्यवसाय की आय की गणना कर रहे हैं तो व्यवसाय पर लागू होने वाले नियम आय को जो भी मालिक है, उसे लागू किया जाना चाहिये। उनको

दूसरा तर्क यह था कि यदि निकोसी को कार्य ऐसे समय में होता है जब बाजार मूल्य लागत मूल्य से अधिक होता है, तो राज्य संभावित लाभ से वंचित हो जाता है।

उन्होंने स्वीकोर किया कि यदि बाजार दर लागत मूल्य से कम होती तो अपीलकर्ता उन लेनदेन पर होने वाले नुकसान को अन्य लेनदेन पर अपने समग्र लाभ के विरुद्ध समायोजित करने को हकदार होता और इस प्रकार कम कर को लाभ प्राप्त करता।

हमारी राय है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल को दूसरा तर्क निराधार है क्योंकि, आयकर उद्देश्यों के लिये, प्रत्येक वर्ष एक स्व-निहित लेखांकन अवधि है और हम केवल उस वर्ष में हुयी आय, लाभ और लाभ पर विचार कर सकते हैं और हम किसी अन्य वर्ष में होने वाले संभावित मुनाफे के बारे में चिंतित नहीं हैं जितना कि हम भविष्य में होने वाले नुकसान के बारे में हैं।

जहां तक पहले तर्क को संबंध है, हमारी राय है कि अपीलकर्ता ने निकोसी की तिथि पर चांदी और शेयरों की लागत मूल्य दर्ज करने में सही किया था क्योंकि यह कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं था और उस अधिनियम से व्यवसाय को कोई लाभ या लाभ नहीं हुआ, ना ही कोई हानि हुयी और अपीलकर्ता को इससे कोई आय नहीं हुयी। हो सकता है कि उसने अपने लिये भविष्य को लाभ जमा कर रखा हो, लेकिन चूंकि लेनदेन

व्यावसायिक नहीं थे और चूंकि उसे कोई तत्काल आर्थिक लाभ नहीं मिला, इसलिये राज्य उन पर कर नहीं लगा सकता, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत राज्य के पास संभावित भविष्य के लाभ पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। यह केवल संबंधित लेखांकन वर्ष में हुयी आय, लाभ और लाभ पर कर लगा सकता है। यह माना गया कि यदि ये संपत्ति लागत मूल्य पर बेची गयी होती तो राज्य कुछ भी दावा नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी विशेष लेन देन से लाभ कमाने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह भी माना गया कि यदि चांदी और स्टॉक जहां वे थे, वहीं पड़े रहते, ताे फिर राज्य को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अपीलकर्ता वर्ष के अंत में लागत पर अपने समापन मूल्यों को दर्ज करने को हकदार होता। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने यह भी स्वीकोर किया कि यदि उन्हें घाटे में बेचा गया होता तो अपीलकर्ता अपने अन्य लाभों के विरुद्ध इसे समायोजित करने को हकदार होता, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिये है क्यारेकि ये सभी व्यावसायिक लेन देन है और कोनून एेसे मामलों में इसी तरह निपटता है जब वे व्यापार के सामान्य क्रम में घटित होते है।लेकिन उन्होंने तर्क दिया, जब निकोसी होती है और कोई बिक्री या उसके समकक्ष नहीं होता है तो मामला अलग होता है। चूंकि यह एक व्यवसाय है, परिसंपत्तियों की कोई भी निकोसी एक व्यावसायिक मामला है और इसे व्यावसायिक दृष्टि से देखने को एकमात्र व्यवहार्य तरीको निकोसी की तारीख पर बाजार मूल्य दर्ज करना है और

क्या यह निर्धारिती के पक्ष में होता है या राज्य के पक्ष में सारहीन है, हम सहमत नहीं हैं।

यह सर्वमान्य है कि राजस्व मामलों में लेन-देन के केवल स्वरूप के बजाय उसके सार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, तकनीकी बातों को नजरअंदाज करते हुए, इस तथ्य से बचना असंभव है कि व्यवसाय को स्वामित्व और संचालन करदाता के पास ही है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी राय है कि व्यवसाय को उसके मालिक से अलग करना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वे एक-दूसरे के साथ व्यापार करने वाली अलग-अलग संस्थाएं हों और फिर एक कोल्पनिक बिक्री के माध्यम से एक कोल्पनिक लाभ पेश करना अवास्तविक और कृत्रिम है जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, यह तथ्य अस्तित्वहीन है कि कल्पनाओं को तोड़ दिया जायें और व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जायें जहां उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं को बेच रहा है और इस प्रकार स्वयं से लाभ कमा रहा है जो प्रथमदृष्टया न केवल बेतुको है बल्कि व्यापारिक और आयकर कोनून के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है और भी बुरा, वह इसे स्वयं रख सकता है और लाभ नहीं दिखा सकता। वह इसे घाटे पर दूसरे को बेच सकता है और उस पर कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसे लाभ पर बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है लेकिन खुद को की गई इस पूरी तरह से कोल्पनिक बिक्री में उसे बाजार बढ़ने पर कोल्पनिक

लाभ पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वह सरकार को एक ऐसा कर देने के लिए मजबूर हो सके जो कोल्पनिक के अलावा कुछ भी हो।

इस सरल उदाहरण पर विचार करें कि एक आदमी चावल को व्यापार करता है और अपने परिवार के उपभोग के लिए भी चावल को उपयोग करता है। सभी बैग एक ही गोदाम में रखे गए हैं और जब भी उसे ऐसा करना आवश्यक लगता है, वह अपने स्टॉक को उपयोग करता है, कभी अपने व्यवसाय के लिए, कभी अपने स्वयं के उपयोग के लिए। वह अपने निजी उपयोग के लिए जो कुछ रखता है, उस पर कर नहीं लगाया जा सकता। बाज़ार कितना भी ऊपर उठे उस पर कर नहीं लगाया जा सकता है जो वह अपने निजी स्टॉक से देता है, जहां तक उसकी दुकान को सवाल है, उसे लाभ पर बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यदि वह पुस्तकों के दो सेट रखता है और प्रवेश करता है कि एक बैग में वे सभी बोरे हैं जो उनके निजी गोदाम में जाते हैं और दूसरे में वह चावल है जो प्रेमचंद के गोदाम से उनकी दुकान में निकोला जाता है, चावल उनके ग्राहकों की दिन-प्रतिदिन की माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, प्रत्येक दिन की बिक्री के बाद दुकान में नगण्य मात्रा ही बचती है, उसके निजी गोदाम में बैगों के साथ उसके निजी और व्यक्तिगत व्यवहार पर तब तक कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वह उन्हें लाभ पर नहीं बेचता।

उसके गोदाम में चावल के साथ क्या करना चाहता है, यह आयकर विभाग की चिंता को विषय नहीं होना चाहिये बशर्ते कि वह इसे बेचे नहीं या अन्यथा इससे लाभ न कमाए। वह इसको उपभोग कर सकता है, या इसे दे सकता है, या इसे ही यूँ ही सड़ने दे सकता है। अगर वह किताबों के दो सेट रखने के बजाय केवल एक ही रखता है तो इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने व्यक्तिगत रूप से आय अर्जित की है या उसके व्यवसाय ने लाभ कमाया है क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी की दावत के लिए अपने गोदाम से दस बैग को उपयोग करता है, इससे कोई फर्क कैसे पड़ सकता है कि बोरियाँ सीधे गोदाम से रसोई में स्थानांतरित कर दी जाएँ या गोदाम से दुकोन में और दुकोन से रसोई में, या दुकोन से वापस गोदाम में और वहाँ से रसोई में? विद्वान अटॉर्नी जनरल के तर्क को उसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जाता है तो लेन-देन को रूप उसको सार होता है और चावल गोदाम से शादी की दावत तक जिस मार्ग से जाता है, उसके अनुसार यह कर योग्य है या नहीं। हमारी राय में, अगर आदमी देने की बजाय देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दावत में वह स्वयं अपनी बेटी को विवाह उत्सव के लिए उपहार के रूप में चावल सौंपता है।

अपीलकर्ता की बही-खाता प्रक्रिया सही स्थिति को दर्शाती है। जैसे ही वह अपनी खरीदारी करता है, वह खातों के एकतरफ लागत मूल्य पर अपने

स्टॉक में प्रवेश करता है। वर्ष के अंत में वह खातों के दूसरी तरफ लागत पर किसी भी बिना बिके स्टॉक को मूल्य दर्ज करता है और इस प्रकार खातों में पहले से ही उसी बिना बिके स्टॉक से संबंधित प्रविष्टियों को रद्द कर देता है और फिर उसे अगले वर्ष के खातों में प्रारंभिक शेष के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। खातों के दोनों तरफ से बिना बिके स्टॉक को रद्द करने से केवल वहीं लेन-देन बचता है जिस पर वास्तविक बिक्री हुई है और जिन्हें वह ही देता है। उसके वर्ष के लेन-देन पर सच्चा और वास्तविक लाभ या हानि है। उसी तरह, अपीलकर्ता ने अपने वित्त की वास्तविक स्थिति को दर्शित किया है और सराफा और चांदी को लागत पर दर्ज करके अपने व्यवसाय में लाभ और हानि को विवरण दिया है, जब उसने उन्हें विशुद्ध रूप से कमीशन गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वापस ले लिया और उपयोग किया जिससे उसे ना तो हानि हुयी और ना ही लाभ हुआ है।

वास्तव में यह ऐसा कोई विवाद नहीं है, विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने गोल्ड कोस्ट सिलेक्शन ट्रस्ट लिमिटेड बनाम हम्फ्री (एच.एम. कर निरीक्षक) पर भरोसा करते हुये यह अभिनिर्धारित किया कि लेकिन वहां निर्धारिती अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में दूसरे के बदले में एक नई और मूल्यवान संपत्ति पर रसीद को हिसाब देने के लिए बाध्य था, हालांकि रसीद पैसे नहीं थी लेकिन पैसे के संदर्भ में इसको मूल्यांकन करने में सक्षम थी। वर्तमान मामले में, निर्धारिती के व्यवसाय को संपत्ति

की वापसी के बदले में कुछ भी नहीं मिला, न तो पैसा और न ही पैसे को मूल्य, इसलिए मामले को निस्तारण को एकमात्र उचित तरीको वहीं करना था जो अपीलकर्ता ने किया था अर्थात् उस मूल्य को दर्ज करना जिस पर वर्ष की शुरुआत में परिसंपत्तियों को मूल्य निर्धारण किया गया था ताकि प्रविष्टियां एक-दूसरे को रद्द कर दे और जिनसे वह व्यवसाय ना तो लाभ के साथ में छोड़ दें और ना ही उसे उस लेन देन पर कोई हानि हो।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि यदि इसकी अनुमति दी गई तो राज्य को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वर्ष के अंत में एक व्यक्ति को केवल उन सभी संपत्तियों को वापस लेना होगा जिनकी कीमत में वृद्धि हुई है और केवल उन संपत्तियों को छोड़ना होगा जिनको मूल्यहास हुआ है और इस प्रकार वह या तो घाटा दिखाता है या उसके करयोग्य लाभ को कम कर देता है।

यह तर्क केवल इस धारणा पर प्रबल हो सकता है कि राज्य संभावित मुनाफे पर कर लगा सकता है क्योंकि इसके अलावा, इस तरह के मामले में राज्य को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। यदि परिसंपत्तियों को वहीं छोड़ दिया जाता जहां वह थी तो वर्ष के अंत में उनको मूल्य लागत मूल्य पर होता जैसा कि वह शुरुआत में था लेकिन यह धारणा कि भविष्य में कुछ लाभ होगा और हम अभी भी वहीं होते जहां हम अभी हैं। अनिश्चित तिथि तो महज अनुमान है क्योंकि बाद में नुकसान हो सकता है। हालांकि,

इसके अलावा, विद्वान अटॉर्नी जनरल को नियम भी दुरुपयोग के लिए समान रूप से सक्षम है। एक व्यक्ति आसानी से मूल्यहासित परिसंपत्तियों से पैसा निकोल सकता है और अपनी पुस्तकों में मूल्यहासित बाजार मूल्य दर्ज कर सकता है और उन्हें लागत मूल्य पर छोड़ सकता है जो संपत्ति बढ़ी है।

ऐसे दो मामले हैं जो इस मामले से प्रारंभिक तौर पर मिलते-जुलते हैं। वह मेसर्स चौथमल गोलापचंद और द स्पेनिश प्रॉस्पेक्टिंग कंपनी लिमिटेड के मामले हैं। हम उनके बारे में कोई भी राय व्यक्त करने से बचते हैं, खासकर तब जब वह अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचते दिखे। क्योंकि तथ्य एक जैसे नहीं हैं और तथ्यों पर जो विवाद उठे थे, उन पर यहां बहस नहीं की गई। वह व्यापक महत्व के मामले उठाते हैं जिन पर उपयुक्त मामले में विचार करने की आवश्यकता होगी। यह मामले एक ही मालिक के स्वामित्व वाले और चलाए गए व्यवसाय के मामले नहीं थे और इसलिए व्यवसाय को उसके मालिक से अलग श्रृंखला के रूप में मानने की कल्पना, जो वास्तव में उसके साथ व्यापार करती है, उत्पन्न नहीं होती है, जिसे हमें यहां लागू करने के लिए कहा गया है। इसके बाद, वहाँ व्यवसाय यहाँ की तरह कम नहीं हो रहे थे।

कलकत्ता के मामले में, एक साझेदारी समाप्त हो गई थी और विघटन पर स्टॉक और शेयरों से युक्त परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से

संबंधित प्रश्न था। अंग्रेजी मामले में, बिना किसी निश्चित पूंजी वाली एक कंपनी परिसमापन के अधीन थी और सवाल यह था कि क्या कंपनी द्वारा खरीदे गए कुछ ऋणपत्र को बाजार मूल्य लाभ और हानि खाते में लाया जाना चाहिए ताकि वास्तव में दिखाए गए मुनाफे में वृद्धि हो सके। विवरण पत्र में कंपनी उन ऋणपत्रों को बिना किसी मूल्य के मानना चाहती थी और इस प्रकार उन्हें अन्यथा की तुलना में बहुत कम लाभ दिखाना चाहती थी। उस प्रश्न के उत्तर पर कंपनी के दो नौकरों को भाग्य निर्भर था जो कंपनी के साथ अपने समझौते की शर्तों के तहत ऐसा कर सकते थे। उनको वेतन केवल कंपनी के मुनाफे से दिया जाएगा। हमारी राय में, यहां कोई भी प्रकरण उपयुक्त नहीं है।

जिन प्रश्नों को उल्लेख किया गया था वह संदर्भित प्रश्न यह थे-

“1- क्या मामले की परिस्थितियों में ट्रस्टियों को शेयरों और चांदी की छड़ों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप निर्धारिती को कोई आय हुयी?

2- यदि प्रश्न 1- को उत्तर सकोरात्मक है तो क्या स्थानांतरण से निर्धारिती की आय की गणना करने में अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपनाई गई विधि और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखी गई विधि आय की गणना करने के लिए उचित विधि है?”

पहले प्रश्न को हमारा उत्तर यह है कि इस मामले की परिस्थितियों में ट्रस्टियों को शेयरों और चांदी की छड़ों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप

अपीलकर्ता को कोई आय नहीं हुई। इसे देखते हुए दूसरे प्रश्न को विचार उत्पन्न नहीं होता, अपील स्वीकोर की गयी।

भगवती जे.-भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 को 11 की धारा 66 (1) के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के एक संदर्भ पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले से विशेष अनुमति द्वारा यह अपील एक प्रश्न उठाती है।

एक चालू व्यवसाय के स्टॉक इन ट्रेड से निकोली गई संपत्ति के मूल्यांकन के बारे में दिलचस्प सवाल।

निर्धारिती को खाता वर्ष (कैलेंडर वर्ष 1942) में शेयरों और चांदी को व्यापार था। 21 जनवरी, 1942 को उसने व्यवसाय से कुछ शेयर और चांदी की छड़े वापस ले ली और ट्रस्ट के दो कोर्ष निष्पादित किये और 19 अक्टूबर, 1942 को उसने आगे के शेयर और चांदी की छड़े वापिस ले ली और ट्रस्ट को तीसरा कोर्ष निष्पादित किया। ट्रस्ट के कोर्षों के नियम और शर्तें इस अपील के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

निर्धारिती ने अपने खाते की बहियां व्यापारिक आधार पर रखी और अपने स्टॉक-इन-ट्रेड के समापन स्टॉक के मूल्यांकन के लिए भूतकोल में उसके द्वारा अपनाई गई विधि लागत मूल्य पर मूल्यांकन थी। ट्रस्ट के कोर्षों को मूल्यांकन उनके निष्पादन की तारीखों पर प्रचलित शेयरों और चांदी की छड़ों के बाजार मूल्य पर मुहर लगाने के उद्देश्य से किया गया

था। हालांकि, निर्धारिती ने इन शेयरों और चांदी की छड़ों को हस्तांतरण लागत मूल्य पर खाते की बहियां में ट्रस्टियों को दिखाया। इस प्रकार खाते के वर्ष की शुरुआत में उसी के संबंध में दिखाये गये डेबिट के विवरण को बंद कर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त शेयरों और चांदी की छड़ों को बाजार मूल्य, जिस पर स्टॉप शुल्क आधारित था। इस प्रकार, हस्तांतरित स्टॉक-इन-ट्रेड से उनकी आय की गणना को आधार नहीं हो सकता है। आयकर अधिकारियों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और लाभ को आकलन उक्त शेयरों और चांदी की छड़ों की लागत मूल्य और व्यवसाय से उनकी वापसी की तारीख पर उनके बाजार मूल्य के बीच अंतर पर किया। आयकर अपीलारी, अपीलीय सहायक आयुक्त और साथ ही आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के इस तर्क को खारिज कर दिया और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के कहने पर धारा 66(1) अधिनियम के तहत एक मामला प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय के लिए निम्नलिखित दो प्रश्नों को उल्लेख किया गया।

“1- क्या मामले की परिस्थितियों में ट्रस्टियों को शेयरों और चांदी की छड़ों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप याचिकोकर्ता को कोई आय हुई?

2- यदि प्रश्न 1- को उत्तर सकोरात्मक है, तो क्या स्थानांतरण से याचिकोकर्ता की आय की गणना में अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपनाई गई विधि और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बरकरार रखी गई

विधि आय की गणना करने के लिए उचित विधि है?”

हाई कोर्ट द्वारा दोनों प्रश्नों को उत्तर सकोरात्मक दिया गया।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष यह विवादित नहीं था कि हस्तांतरित शेयर व्यवसाय को स्टॉक-इन-ट्रेड था। जहां तक चांदी की छड़ों को संबंध है, ट्रिब्यूनल ने पाया कि निर्धारिती बार-बार खरीदारी और बिक्री कर रहा था और चांदी भी स्टॉक-इन-ट्रेड थी, न कि पूंजी निवेश। इस प्रकार शेयर और चांदी की छड़ें दोनों व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड को हिस्सा थे। उन्हें समय-समय पर निर्धारिती द्वारा खरीदा गया था और व्यापार के स्टॉक-इन-ट्रेड को हिस्सा बनाया गया था और पिछले वर्षों की लेखा बहियाेें में और वर्ष के प्रारंभ पर लागत मूल्य पर दिखाया गया था। यदि व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से निकोले गए शेयर और चांदी की छड़ खाते के वर्ष के समापन पर स्टॉक-इन-ट्रेड को हिस्सा बनी रहीं तो इन शेयरों और चांदी की छड़ों को मूल्य निर्धारिती द्वारा मुख्य रूप से बनाए गए खातों की प्रणाली के अनुसार लागत मूल्य पर किया गया होगा। हालांकि, यह प्रश्न निर्धारित किया जाना बाकी है कि व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से इन परिसंपत्तियों को वापस लेने को क्या प्रभाव पड़ता है।

जहां तक व्यवसाय को संबंध है, जो परिसंपत्ति खरीदी गई है, वह उस तारीख को एक विशेष मूल्य की है, जब इसे खरीदा गया है और फिर खाते की किताबों में इसकी लागत पर इसको मूल्य निर्धारण किया जाता

है। हालांकि, व्यवसाय के दौरान बाज़ार के उतार-चढ़ाव के अनुसार परिसंपत्ति को मूल्य बढ़ता या घटता है। यदि वर्ष के अंत में स्टॉक-इन-ट्रेड के मूल्यांकन के लिए लागत मूल्य आधार को अपनाया जाता है तो मूल्य में यह वृद्धि या मूल्यहास, जैसा भी मामला हो, खातों में दर्शित नहीं होगा। हालांकि, यदि इस तरह के मूल्यांकन के लिए बाजार मूल्य के आधार को अपनाया जाता है तो वर्ष के अंत में बाजार दर पर मूल्यांकित होने पर परिसंपत्ति में हानि दिखाई दे सकती है और इस हानि की अनुमति आयकर प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। व्यवसाय के लाभ या हानि की गणना करने में कठिनाई। किसी भी स्थिति में, निर्धारिती को पिछले वर्ष के अंत में अपनाए गए मूल्यांकन पर संपत्ति को अगले वर्ष की लेखा बहियाेँ में दिखाना होगा और निर्धारिती को इस प्रकार अपनाए गए मूल्यांकन के आधार को बदलने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वह अगले वर्ष या वर्ष के अंत में लागत मूल्य या बाजार मूल्य पर मूल्यांकन को अपनाने को विकल्प नहीं चुनता, उसमें से जो भी कम हो। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक परिसंपत्ति की वसूली नहीं हो जाती। जब परिसंपत्ति की वसूली हो जाती है तो निर्धारिती को संपत्ति की बिक्री से प्राप्त वास्तविक कीमत को खाते की बहियाेँ में दिखाना होगा और इस प्रकार प्राप्त कीमत और खाते के वर्ष की शुरुआत में दिखाए गए मूल्य के बीच को अंतर लाभ होगा या उस परिसंपत्ति और उस लाभ या हानि के संबंध में, जैसा भी मामला हो, हानि हो सकती है।

खाते के उस वर्ष के लिए लाभ या हानि की गणना में आयकर अधिकोरियों द्वारा अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, मूल्यांकन के एक या दूसरे आधार को अपनाने से अंतिम परिणाम के निर्धारण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूल्यांकन के लागत मूल्य के आधार पर व्यवसाय में परिसंपत्ति लाने और उसकी प्राप्ति के बीच के अंतराल के दौरान कीमत के सभी मध्यवर्ती उतार-चढ़ाव को समाप्त कर दिया जाएगा और खातों में विचार की जाने वाली एकमात्र चीज कीमत के बीच को अंतर होगा।

परिसंपत्ति को जब व्यवसाय में लाया गया था और परिसंपत्ति की वसूली होने पर उसकी कीमत। दूसरी ओर बाजार मूल्य के आधार पर प्रत्येक वर्ष खाते के प्रत्येक वर्ष के अंत में परिसंपत्ति के बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखा जाएगा जब तक कि परिसंपत्ति प्राप्त न हो जाएं जिसके परिणामस्वरूप खाते के प्रत्येक वर्ष में, पिछले वर्ष के व्यापार के परिणाम में सुधार करना होगा। निर्धारिती द्वारा बाजार मूल्य प्राप्त करने को अपनाने के कारण खातों में सही ढंग से दर्शित नहीं किया गया। पिछले वर्ष के अंत में परिसंपत्ति के मूल्य के रूप में सुधार की यह प्रक्रिया साल-दर-साल तब तक जारी रहेगी जब तक कि किसी विशेष वर्ष के खाते में परिसंपत्ति की वसूली नहीं हो जाती, जब परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त वास्तविक कीमत को खाते में दिखाया जाएगा। जहां तक परिसंपत्ति को संबंध है, इन परिचालनों को अंतिम परिणाम अलग नहीं होगा क्योंकि यदि

बाजार मूल्य में विभिन्न उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाए जो मध्यवर्ती अवधि के खातों में परिलक्षित होता है तो व्यवसाय को वास्तव में क्या लाभ होता है या क्या हानि होती है, इसके बीच को अंतर होगा। परिसंपत्ति को लागत मूल्य जब इसे दिखाया गया था और जिस कीमत पर इसे बेचा गया था जब यह वास्तव में प्राप्त हुआ था। एकमात्र लाभ जो निर्धारिती को प्राप्त होता है, वह यह होगा कि वह किसी विशेष वर्ष में अगले वर्ष या वर्षों में परिसंपत्ति पर होने वाले नुकसान को अनुमान लगाने में सक्षम होगा जिसे अगले वर्ष में सुधारना पड़ सकता है। अगर कीमतें वर्षों में फिर से बढ़ीं। क्या उस स्थिति में कोई अंतर है जब संपत्ति को प्राप्त होने के बजाय स्टॉक से निकोल लिया जाता है?

जहां तक व्यवसाय को सवाल है, परिसंपत्ति स्टॉक-इन-ट्रेड को हिस्सा नहीं रह जाती है, चाहे इसकी वसूली हो जायें या स्टॉक-इन-ट्रेड से वापस ले ली जायें। व्यवसाय में लाये जाने के बाद परिसंपत्ति को मूल्य बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार बढ़ता या घटता है और वह मूल्यहास या मूल्यहास संपत्ति तब तक व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड को हिस्सा बनी रहती है जब तक कि वह प्राप्त न हो जायें या उसे वापस नहीं लिया जायें। जब खाते के वर्ष के अंत में स्टॉक-इन-ट्रेड के मूल्यांकन के लिये लागत मूल्य आधार अपनाया जाता है तो मूल्य में यह प्रशंसा या मूल्यहास खाते की बहियां में दर्शित नहीं होती है लेकिन निश्चित रूप से उपरोक्त के रूप में दर्शित

होती है जब बाजार मूल्य आधार अपनाया जाता है तो खाते के प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते की बहियां में दर्शाया जाता है। हालांकि, प्रत्येक मामले में व्यवसाय को वास्तविक लाभ या हानि जैसा भी मामला हो, उस कीमत के संबंध में हो सकता है जिस पर परिसंपत्ति को व्यवसाय में लाया गया था। उस तिथि पर निर्धारित किया जाएगा जब परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी। यह परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि या मूल्यहास को माप होगा जो तब तक व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड को एक हिस्सा था और जैसा भी मामला हो, अंतिम लाभ या हानि को माप भी होगा।

उस विशेष संपत्ति के संबंध में व्यवसाय को होना। जब परिसंपत्ति को व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से वापस ले लिया जाता है तो मेरी राय में स्थिति अलग नहीं होगी। जहां तक व्यवसाय को सवाल है, परिसंपत्ति बाहर चली जाएगी और उसके स्टॉक-इन-ट्रेड को हिस्सा बनना बंद हो जाएगा और यह फिर से लाभ या हानि को माप होगा, जैसा भी मामला हो, उस विशेष परिसंपत्ति के लिए व्यवसाय को हो सकता है। मेरी राय में इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई परिसंपत्ति व्यवसाय के दौरान प्राप्त होती है या व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से निकोल ली जाती है। एक परिसंपत्ति जिसको मूल्य बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार बढ़ा या घटा है, किसी न किसी प्रक्रिया से व्यवसाय को हिस्सा नहीं रह जाती है। जहां तक व्यवसाय को सवाल है, वह अपने माल खाते में उस संपत्ति की कीमत, जो उसकी

बिक्री से प्राप्त हुई है या उस संपत्ति को बाजार मूल्य उसकी वापसी की तारीख पर जमा करने को हकदार है।

मामले को निर्धारिती के दृष्टिकोण से देखने पर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यवसाय के दौरान संपत्ति को प्राप्त करता है या इसे व्यवसाय से वापस लेता है और अपनी इच्छानुसार किसी भी तरीके से इसको उपयोग करता है। व्यवसाय में एक परिसंपत्ति लाने के बाद जो उस समय एक विशेष मूल्य की थी, वह उस परिसंपत्ति को उस समय व्यवसाय से वापस ले लेता है जब उसको मूल्य बढ़ गया हो या कम हो गया हो। वह व्यवसाय उस परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि या मूल्यहास को हकदार होगा, जहाँ तक परिसंपत्ति व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड को हिस्सा बन गई है। जब परिसंपत्ति को करदाता द्वारा वापस ले लिया जाता है-ऐसी निकोसी के कोरण निर्धारिती अपने हाथों में एक परिसंपत्ति प्राप्त करता है जिसको मूल्य निकोसी के समय उसके मूल्य की तुलना में मूल्य में वृद्धि या गिरावट हो सकती है। वह जिस समय उसे व्यवसाय में खरीदा गया था और इस तरह की निकोसी पर करदाता उस परिसंपत्ति से निपटने या उसको निपटान करने में सक्षम होंगे जिसको मूल्य इस प्रकार बढ़ा या घटा था। मेरी राय में व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से संपत्ति निकोलने के बाद उसके साथ व्यवहार करने को तरीको वास्तव में महत्वहीन है। विचार करने योग्य बात यह है कि उस परिसंपत्ति को मूल्य क्या है जिसे उसने व्यवसाय

के स्टॉक-इन-ट्रेड से वापस ले लिया था और वह मूल्य केवल परिसंपत्ति के बाजार मूल्य द्वारा उसकी तिथि के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।

यह कहा गया कि व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से परिसंपत्ति की निकोसी एक व्यावसायिक संचालन नहीं थी और विशेष परिसंपत्ति की लागत मूल्य को क्रेडिट पक्ष पर एक प्रविष्टि होगी। हालांकि यह तर्क निकोसी की तारीख पर परिसंपत्ति के मूल्य में मूल्य की तुलना में उसके मूल्य की तुलना में मूल्य में वृद्धि या मूल्यहास को ध्यान में नहीं रखता है, जब इसे शुरू में व्यवसाय में खरीदा गया था। यह इस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखता कि निर्धारिती ने पिछले वर्ष या खाते के वर्षों के अंत में स्टॉक-इन-ट्रेड के मूल्यांकन के लिए बाजार मूल्य के आधार को अपनाया होगा। खाते के वर्ष की शुरुआत में डेबिट पक्ष पर प्रविष्टि परिसंपत्ति की लागत मूल्य को प्रतिनिधित्व नहीं करेगी बल्कि खाते के पिछले वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्ति को बाजार मूल्य को प्रतिनिधित्व करेगी।

तो फिर वह तर्कसंगत आधार क्या होगा जिस पर निकोसी की तिथि पर क्रेडिट प्रविष्टि की जानी चाहिए? क्या यह उस संपत्ति को लागत मूल्य होना चाहिए जिसे कि प्रारंभिक चरण को छोड़कर सामान्य खातों में बिल्कुल भी दर्शित नहीं किया गया था जब संपत्ति को व्यवसाय में लाया गया था या परिसंपत्ति को बाजार मूल्य जब इसे वापस ले लिया गया था?

निश्चित रूप से हिसाब-किताब रखने के तरीके से वास्तविक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, चाहे किसी परिसंपत्ति को मूल्य बढ़ा हो या घट गया हो और जब परिसंपत्ति को स्टॉक-इन-ट्रेड से वापस ले लिया गया हो तो व्यवसाय को क्या लाभ या हानि हुई है। विचार करने के लिए एक और तथ्य भी है और वह यह है कि जब परिसंपत्ति को व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से निकोला जाता है तो उसे निकोलने वाले व्यक्ति के खाते में उस परिसंपत्ति की कीमत को डेबिट करने की प्रविष्टि आवश्यक होगी। यदि निर्धारिती व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से ऐसी परिसंपत्ति निकोलता है जिसको मूल्य इस प्रकार बढ़ा या घटा है तो क्या उसे उस परिसंपत्ति की लागत कीमत से डेबिट करने को कोई औचित्य है, न कि परिसंपत्ति को बाजार मूल्य वापसी की तारीख के अनुसार।

परिसंपत्ति के मूल्य में सराहना की स्थिति में, निर्धारिती को उसके खाते में परिसंपत्ति के सराहना किए गए बाजार मूल्य के साथ डेबिट किया जाना चाहिए, जब तक कि वह व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से उस परिसंपत्ति को निकोल लेता है जो उस बाजार की तारीख पर है। तथापि, यदि परिसंपत्ति को मूल्य कम हो गया है तो निर्धारिती को निश्चित रूप से कम नहीं किया जाना चाहिए। वह व्यवसाय के स्टॉक-इन-ट्रेड से एक परिसंपत्ति निकोलता है जो कि व्यवसाय में लाए जाने पर उसके मूल्य की

तुलना में मूल्यहास, मूल्य की होती है और उसे निश्चित रूप से उच्च मूल्य के साथ डेबिट नहीं किया जाना चाहिए, भले ही यह लागत हो। निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखांकन की विशेष प्रणाली के अनुसार खाते की बहियां में दिखाई देने वाली कीमत। इसलिए मेरी निश्चित रूप से राय है कि परिसंपत्ति की वसूली के मामले में भी निकोसी के मामले में, व्यवसाय माल खाते में परिसंपत्ति की वापसी की तारीख पर बाजार मूल्य, चाहे जो भी हो, जमा करने को हकदार है। जो भी प्रक्रिया अपनायी गयी हो, वह खाते के एक वर्ष की समाप्ति पर उसके स्टॉक-इन-ट्रेड के मूल्यांकन के लिए है।

अपीलकर्ता पक्ष की ओर से श्री आर. जे. कोलाह उपस्थित हुए। मैसर्स चौथमल गोलापचंद के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया गया। वहाँ निर्धारिती मैसर्स चौथमल गोलापचंद की फर्म थी, जो समान शेयरों वाले चार साझेदारों द्वारा गठित की गई थी और उनके पास लेखा वर्ष 1935-36 की शुरुआत में रुपये की लागत मूल्य पर शेयरों को शुरुआती स्टॉक था। 8 जनवरी, 1936 को साझेदारों ने 30 मार्च, 1936 से फर्म को भंग करने को संकल्प लिया और लंबित विघटन को देखते हुए उन्होंने 9 मार्च, 1936 को इन शेयरों को आपस में बाँट लिया जिनको मूल्य तब दरों पर निर्धारित किया गया था। रुपये की कुल राशि पर बाजार में प्रचलित, 51,966/-रुपये को अंतर था। शुरुआती स्टॉक

के मूल्य के बीच 33,365/-रुपये, 85,331/-रुपये और तत्कालीन बाजार मूल्यांकन 51,966/-रुपये और इस अंतर को मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन में हानि के रूप में दावा किया गया था। करदाता को यह दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि खाते के वर्ष में हानि हुई थी। प्रत्येक वर्ष के अंत और अगले वर्ष की शुरुआत में लागत मूल्य पर शेयरों को मूल्यांकन करने की प्रणाली को अपनाने वाले निर्धारितियों ने शेयरों की लागत मूल्य को खाते के वर्ष की शुरुआत में उनको मूल्य माना था और विभाजन को शेयरों की बिक्री के बराबर नहीं माना गया जिसके परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान को कोई सबूत नहीं था। विद्वान न्यायाधीशों को बहुत सम्मान करते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं इस फैसले के तर्क से सहमत हो पाऊंगा। इस तथ्य के अलावा कि साझेदारों के बीच शेयरों को यह वितरण फर्म के आसन्न विघटन को ध्यान में रखते हुए किया गया था और जब कोई अपने साझेदारों के बीच विघटित साझेदारी की संपत्ति के वितरण पर विचार करता है तो अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं, निर्णय यह नहीं कहता है। तथ्य यह है कि विभाजन की तिथि पर जो संपत्तियां पिछली तिथियों में व्यवसाय में लाई गई थी, उनको मूल्य कम हो गया था और ये मूल्यहास थे। परिसंपत्तियाँ जो साझेदारों के बीच विभाजन की विषय-वस्तु थी। भले ही विभाजन को बिक्री के रूप में नहीं माना जाता है, यह संपत्ति को हस्तांतरण था, फर्म की संपत्ति उसके व्यक्तिगत भागीदारों को हस्तांतरित

की गयी थी और प्रत्येक भागीदार को शेयरों में पूर्ण अंतर-कमीशन प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार उसे हस्तांतरित किया गया। उसमें अन्य भागीदार जहां तक फर्म को संबंध है, यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत साझेदारों को संपत्ति को हस्तांतरण था और यहां तक कि स्वयं साझेदारों के संबंध में यह शेयरों में साझेदारों के हितों को हस्तांतरण था जो क्रमशः प्रत्येक को हस्तांतरित किया गया था। उन्हें यदि ऐसा करना आवश्यक होता तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मामले को निर्णय गलती से किया गया था। (इस संबंध में स्पेनिश प्रॉस्पेक्टिंग कंपनी लिमिटेड में फ्लेचर मौलटन एल.जे. को निर्णय भी देखा गया)।

इसलिए इसको परिणाम यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित दोनों प्रश्नों के उत्तर सही थे और अपील को खारिज किया जाना चाहिए।

अपील की अनुमति दी गयी।

अपीलकर्ता के लिए एजेंट-राजिंदर नारायण।

प्रतिवादी के लिए एजेंट-जी.एच. राजाध्यक्ष।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी मीना द्वितीय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकोर को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसको उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय को अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कोर्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।